"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 246] रायपुर, शनिवार, दिनांक 22 सितम्बर 2012—भाद्र 31, शक 1934

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 सितम्बर 2012

अधिसूचना

फा. क्रमांक 7516/2701/21-ब/छ.ग./12.—भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का सं. 36) की धारा 153 (एक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, छ.ग. उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्द्वारा, पूर्व में जारी अधिसूचना क्रं. 7354/डी-2500/21-ब/छ.ग./09 दि. 31-10-2009 में निम्नानुसार संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

1. उक्त अधिसूचना के सरल क्र. 4 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जावे :—

स. क्र. (1)	विशेष न्यायालय (2)	न्यायालय का क्षेत्राधिकार (3)	पीठासीन अधिकारी (4)
4.	अम्बिकापुर	अम्बिकापुर राजस्व जिला	तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अम्बिकापुर.

Raipur, the 18th September 2012

NOTIFICATION

F. No.7516/2701/XXI-B/C.G./12.—In exercise of the powers conferred by section 153 (1) of the Indian Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, in consultation with the High Court of Chhattisgarh, hereby makes following amendment in this department's previous notification No. 7354/D-2500/XXI-B/C.G./09, dated 31-10-2009, namely :—

AMENDMENT

1. For the entries in serial No. 4 of the said notification the following shall be substituted :—

S. No. (1)	Special Courts (2)	Jurisdiction of the Courts (3)	Presiding Officer (4)
4.	Ambikapur	Ambikapur Revenue District	IIIrd Additional Sessions Judge Ambikapur.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सामन्तराय, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.